संख्या:150/2026/941/35-4-2026/35-4/1/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक: 27 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-77/2025/669/35-4-2025/35-4/1/2025 दिनांक 14.07.2025 एवं शासनादेश सं-78/2025/670/35-4-2025/1/2025 दिनांक 14.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद आगरा में कार्य की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश सं0-77/2025/669/35-4-2025/35-4/1/2025 दिनांक 14.07.2025 द्वारा 01 कार्य **पुरानी मण्डी चौराहा से डा० श्याम रोड होते हुये देवी माता चौराहा तक नाली एवं सडक का निर्माण कार्य** की रू. 85.67 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी है एवं शासनादेश सं0-78/2025/670/35-4-2025/35-4/1/2025 दिनांक 14.07.2025 द्वारा 01 कार्य **तोरा पुलिस चौकी से अंसल इमराल्ड हाईट्स ताजनगरी फेस-2 तक 125 फीट सडक का सुदृढीकरण का कार्य** की रू. 545.01 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 272.50 लाख अवमुक्त की गयी है।

2- आपके पत्र संख्या-1466/त्व0आ0वि0यो0/2025 दिनांक 04.02.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-77/2025/669/35-4-2025/35-4/1/2025 दिनांक 14.07.2025 एवं शासनादेश सं-78/2025/670/35-4-2025/1/2025 दिनांक 14.07.2025 द्वारा स्वीकृत कार्य अन्य योजना से हो जाने के कारण एतदद्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-77/2025/669/35-4-2025/35-4/1/2025 दिनांक 14.07.2025 एवं शासनादेश सं-78/2025/670/35-4-2025/1/2025 दिनांक 14.07.2025 द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त सन्दर्भित कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:150/2026/941(1)/35-4-2026/35-4/1/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
14-सम्बंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।